प्रेस नोट
जनपद इटावा

दिनांक 04.07.2024

इटावा पुलिस द्वारा ज्वैलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से सोने व चाँदी के आभूषण किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना चकरनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री सुरेश चन्द्र जैन पुत्र स्व0 मुन्नी लाल जैन निवासी कस्बा चकरनगर थाना चकरनगर जनपद इटावा कि कस्बा चकरनगर में स्थित दुकान जैन ज्वैलर्स में दिनांक 28/29/07/2022 को अज्ञात लोगो द्वारा जीने की दीवार तोड़कर तिजोरी व अलमारी से सोने,चांदी आदि सामानो को चोरी कर लिया गया था। उक्त घटना के क्रम में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना चकरनगर पर मु0अ0सं0 58/22 धारा 380/457 भादवि0 बनाम अज्ञात दिनांक 29.07.2022 को पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम मे अभि0गण 01. सत्यम सागर पुत्र अरुण कुमार 02. बृजपाल चौहान पुत्र स्व0 हेतराम 03. सचिन चौहान पुत्र मंगल सिंह 04. मुनीश पुत्र सहनसाह 05. प्रेम पवार पुत्र जीवन उर्फ जीवन सिंह 06. बहरु पुत्र बंशी 07. प्रकाश पवार पुत्र छेदीलाल निवासीगण मौहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 04.07.2024 को थाना चकरनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 58/22 धारा 457/380 भादवि0 से सम्बन्धित अभि० प्रेम पवार पुत्र जीवन उर्फ जीवन सिंह निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जिला औरैया का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड प्राप्त कर

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी उसने बताया कि मैने व मेरे साथी 1. बृजपाल चौहान पुत्र स्व0 हेतराम 2. सचिन चौहान पुत्र मंगल सिह 3. मुनीश पुत्र सहनसाह 4. बहरू पुत्र बंशी 5. सत्यम सागर पुत्र अरुण कुमार 6. प्रकाश पवार पुत्र छेदीलाल निवासीगण मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जिला औरैया ने मिलकर दिनांक 28/29.07.2022 की रात्रि मे चकरनगर कस्बा मे स्थित जैन ज्वेलर्स के यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया था उक्त घटना के पूर्व मे बृजपाल व बहरू द्वारा उक्त दुकान की रैकी की गयी थी और हम लोग उक्त दुकान से लगभग 03 किग्रा0 के ऊपर सोना व लगभग 20 किग्रा0 चांदी के जेवरात व लगभग दस लाख रूपये नगद की चोरी की थी। जिसमे मेरे हिस्से मे कुछ सोना व चांदी का सामान व कुछ चांदी के सिक्के मिले थे और कुछ रुपये

मेरे हिस्से मे आये थे चोरी के सामान का कुछ हिस्सा मैंने अपने घर में तथा कुछ सामान मैने घर से थोड़ी दूर खाली प्लाट में जमीन में गाड़ दिया था जिसे केवल मैं ही जानता हूं उसे निकालने का मुझे कोई मौका नहीं मिला अगर आप उस चोरी किये गये मेरे हिस्से के शेष सामान को बरामद करना चाहते हो तो आप मुझे साथ लेकर चलो तो मैं आपको बरामद करा सकता हूं । **अभि0 उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में चोरी गये माल की बरामदगी हेतु अभियुक्त के घर से अभियुक्त द्वारा छिपाये गए चोरी गये माल सफेद धातु के आभूषण कुल वजनी 195 ग्राम व पीली धातु के आभूषण कुल वजनी 32.430 ग्राम को बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चकरनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/22 धारा 457/380 भादवि0 में अभियुक्त प्रेम पवार उपरोक्त से माल बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी ।**

अभियुक्त का नाम व पता -

प्रेम पवार पुत्र जीवन उर्फ जीवन सिंह निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जिला औरैया उम्र 54 वर्ष

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 58/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना चकरनगर जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 58/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना चकरनगर जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 34/23 धारा 174-A भादवि0 थाना चकरनगर जनपद इटावा

बरामदगी –

1. चाँदी कुल 195 ग्राम
2. सोने के आभूषण कुल वजन 32.430 ग्राम

पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार कुशवाहा, उ0नि0 श्री अवधेश कुमार, हे0का0 प्रमोद कुमार व का0 रंजीत सिंह ।